

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,

जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 1696 / 03

संस्थित दिनांक -15 / 10 / 03

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर
जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

हरिदास वल्द जयदास पनिका
उम्र 36 वर्ष नि0-मोहबट्टा थाना
जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 15 / 10 / 2016 को घोषित }

1. अभियुक्त हरिदास पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए, 337, 288 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19.07. 2003 को समय 09:00 बजे ग्राम मोहबट्टा सीमेण्ट फैक्ट्री की इमारत की छत के कालम में लगे लोहे की सलाक को लापरवाहीपूर्वक गैस कटर से कटवाया जिससे इमारत की छत गिर गयी अंदर कार्य कर रहे मजदूर रतनलाल एवं तेजराम की दबकर मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, तथा योगेश कुमार को साधारण उपहति कारित की एवं इमारत में ऐसा कार्य करवाया जिसके करने से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने का लोप किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.07. 2003 को अभियुक्त हरिदास बंद सीमेण्ट फैक्ट्री की इमारत एवं लोहे की तोड़फोड़ का कार्य मजदूरों से करवा रहा था, एवं स्वयं लापरवाहीपूर्वक गैस कटर से इमारत की छत कालम में लगे लोहे की सरई को काट रहा था जिससे इमारत की छत गिर गयी एवं मजदूर रतनसिंह की छत के नीचे दबकर मृत्यु हो गयी, तथा तेजराम को गम्भीर चोटें आयीं। जिसकी इलाज के दौरान बालाघाट अस्पताल में मृत्यु हो गयी। अन्य व्यक्तियों को चोटें आयीं। सूचना पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। घायल का मुलाहिजा कराया गया तथा मृतकों का शव परीक्षण कराया गया। दौरान

विवेचना घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से संपत्ति जप्त की गयी, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और बाद अनुशंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर उसके परीक्षण के धारा 313 दं.प्र.सं. में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है, उसने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 19/07/03 को समय 9:00 बजे ग्राम मोहबट्टा से सीमेण्ट फैक्ट्री की इमारत में ऐसा कार्य करवाया जिसके गिरने से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने का लोप किया ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त इमारत की छत के कालम में लगे लोहे की सलाक को लापरवाहीपूर्वक गैस कटर से कटवाया जिससे इमारत की छत गिर गयी और योगेश कुमार को साधारण उपहति कारित हुई ?
- (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर छत की कालम में लगे लोहे की सलाक को लापरवाहीपूर्वक गैस कटर से कटवाकर छत गिरने से रतनलाल एवं तेजराम को ऐंसी मृत्यु कारित की जा जो मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2 तथा 3

5. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। घटना के आहत योगेश बोपचे (अ.सा.2) का कथन है कि घटना आज से दो-तीन साल पूर्व की है जब वह और गांव के रतनलाल, तेजलाल, दोदी, किशोर आरोपी के कहने पर बंद सीमेण्ट फैक्ट्री मोहबट्टा में छत का लोहा निकाल रहे थे। आरोपी गैस कटर से फैक्ट्री के छत के पिल्लर की सरई को काट रहा था। सभी लोग छत के साइड में खड़े थे। फैक्ट्री की छत गिर गयी रतनलाल व तेजराम छत के नीचे दब गये। रतनलाल मौके पर खत्म हो गया था तथा तेजराम एक दिन बाद खत्म हो गया था। घटना में उसे भी पीठ में एवं दाहिने हाथ की अंगुली में चोटें आयी थीं। घटना की पुष्टि देवीलाल (अ.सा.1) ने की है। जिसके अनुसार फैक्ट्री में हरिदास काम करवा रहा था। तथा वह रतनलाल, तेजराम, योगेश एवं श्रीलाल फैक्ट्री में

तोड़ने का काम कर रहे थे। हरिदास उस समय गैस सिलेण्डर से कालम के लोहे की छड़ को काटने का काम कर रहा था और वह लोग अंदर तोड़ने का काम कर रहे थे। बिल्डिंग के ऊपर छत गिर गयी थी। जिसमें रतनलाल व तेजराम फस गये थे, जिनकी मृत्यु हो गयी थी।

6. घटना का आंशिक समर्थन किशोर (अ.सा.3) व श्रीलाल (अ.सा.4) ने किया है। किशोर (अ.सा.3) के अनुसार सीमेण्ट फैक्ट्री में वह लोग तोड़ाई का काम कर रहे थे, तब उसकी छत गिर गयी थी, जिसके बाद वह लोग बताने के लिए घर चले गये थे। श्रीलाल (अ.सा.4) का कथन है कि छत का पिल्लर तोड़ते समय मजदूर दबकर मर गया था।

07. ऊषाबाई (अ.सा.7) का कथन है कि उसके पति तेजराम गैस सिलेण्डर से लोहे की छड़ काटने का काम सीमेण्ट फैक्ट्री मोहबट्टा में करता था। जिसका कालम गिरने से उसके पति दब गये थे। बाद में बालाघाट में ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी। घटना के समय फैक्ट्री में काम आरोपी हरिदास के निरीक्षण में चल रहा था। घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। घटना दिनांक को आरोपी कालम तोड़वा रहा था। जिसके कारण छत गिरने से दबकर उसके पति के साथ दुर्घटना हुई। देवीलाल (अ.सा.1) और श्रीलाल (अ.सा.4) ने उनके समक्ष आरोपी से गैस सिलेण्डर तथा अन्य सामग्री जप्त होने के कथन किये हैं। देवीलाल (अ.सा.1) के अनुसार पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से गैस सिलेण्डर, रेगुलेटर व कटर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र. पी02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। श्रीलाल ने जप्ती पत्रक पर अपनी अंगूठा निशानी होने के कथन किये हैं।

08. मानतीबाई (अ.सा.14) का कथन है कि घटना के समय किशोर ने उसे घर पर आ कर बताया था कि फैक्ट्री में दीवार गिर गयी है जिसमें उसका पति दब गया है। उसके बाद उसने घटनास्थल पहुंचकर देखा तो उसका पति रतनलाल दीवार के अंदर दबा हुआ था। जिसे हटाकर देखने पर पता चला कि उसके पति की मौत हो गयी थी। उसे वहां पर गांव वालों ने बताया था कि कालम काटने के दौरान गिरने से दबकर उसके पति की मृत्यु हो गयी थी।

09. नक्शा पंचायतनामा के साक्षी भोजलाल(अ.सा.5), बलम(अ.सा.6), पूसूलाल(अ.सा.8), लालचंद(अ.सा.10) ने मृतक तेजराम के नक्शा पंचायत नामा प्र.पी04 का समर्थन कर नक्शा पंचायत नामा पर अपने हस्ताक्षर स्वीकृत किये हैं।

10. डां. आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.9) ने घटना दिनांक को आहत योगेश कुमार बोपचे का परीक्षण करने पर माथे तथा दायें हाथ की छोटी अंगुली पर रिपोर्ट प्र.पी06 के अनुसार चोटें होने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसके द्वारा मृतक रतनसिंह का शव परीक्षण करने पर पेट पर गहरी चोटें पायी थीं। साक्षी के अनुसार रतनलाल की मृत्यु पेट एवं छाति के केविटी में आयी घातक चोटें व अंदर मौजूद हृदय, लीवर, गुर्दे एवं आंत के फटने के कारण हुई थी जिसकी रिपोर्ट प्र.पी5 है। साक्षी के अनुसार मृत्यु 12 घण्टे से 24 घण्टे के भीतर संभावित थी।

11. डां. पी.के.पाराशर (अ.सा.12) का कथन है कि दिनांक 21.07.03 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में उनके द्वारा तेजलाल का शव परीक्षण करने पर सिर, छाती एवं बायें कंधे पर चोट पायी थी। साक्षी के अनुसार मृत्यु का कारण सिर पर आयी चोटें फेफड़े का फटना तथा उसमें उसमें आयी चोटें थी जिसके कारण मृतक को रक्त-स्राव हो गया था। शव परीक्षण मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर किया गया था। जिसकी रिपोर्ट प्र.पी8 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

12. अशोक डहाके (अ.सा.13) का कथन है कि दिनांक 19.07.03 को थाना बैहर में वह प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत होने के दौरान उसके द्वारा योगेश कुमार, तेजराम का मुलाहिजा फार्म प्र.पी09 एवं प्र.पी10 भरकर शासकीय चिकित्सालय बैहर भेजा गया था। साक्षी के अनुसार उसी दौरान थाना बैहर में सहायक उप निरीक्षक के पर दिनेशसिंह पदस्थ थे। जिसके हस्ताक्षर वह पहचानता है। दिनेशसिंह द्वारा अपराध क्रमांक 122/03 के तहत घटना की रिपोर्ट प्र.पी11 आरोपी के विरुद्ध दर्ज की गयी थी। तथा दिनेशसिंह द्वारा मृतक तेजलाल का देहाती मार्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही हेतु मार्ग सूचना प्र.पी12 एस.डी.एम. को भेजी गयी थी, उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर दिनेशसिंह के हस्ताक्षर हैं।

13. दिनेशसिंह द्वारा मृतक रतनसिंह का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी04 गवाहों के समक्ष बनाया गया था, जिसके सी से सी भाग पर दिनेशसिंह के हस्ताक्षर हैं। दिनेशसिंह द्वारा आरोपी हरिदास से गवाहों के समक्ष आक्सीजन गैस सिलेण्डर इण्डेन कंपनी का, दो होर्स पाईप, दो रेगुलेटर जिसमें से एक में कटर लगा हुआ था, गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर दिनेशसिंह के हस्ताक्षर हैं। दिनेशसिंह द्वारा मृतक रतनसिंह का शव परीक्षण हेतु दिनांक 19.07.03 को सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र बैहर ले जाया गया था जिस हेतु आवेदन प्र.पी13 है, घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी14 बनाया गया था। आरक्षक दौलत क्रमांक 596 को मृतक रतनलाल के शव परीक्षण हेतु ड्यूटी सर्टिफिकेट प्र.पी15 दिया गया था। मृतक रतनलाल का देहाती मार्ग इंटीमेशन प्र.पी16 कायम किया गया था मृतक के जांच पंचायतनामा में उपस्थित होने हेतु साक्षीगण को नोटिस प्र.पी17 दिया गया था। अभियुक्त हरिदास को दिनांक 21.07.03 को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी18 बनाया गया था उक्त समस्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर दिनेशसिंह के हस्ताक्षर हैं। दिनेशसिंह द्वारा आरोपी हरिदास को जमानत मुचलके पर छोड़कर जमानत मुचलका प्र.पी19 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग एवं बी से बी भाग पर दिनेशसिंह के हस्ताक्षर हैं।

14. उपरोक्त समस्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को सीमेण्ट फैक्ट्री मोहबट्टा में कालम काटने के दौरान छत गिरने से रतनलाल, तेजराम की मृत्यु हो गयी थी जबकि योगेशकुमार को उपहति कारित हुई थी। परंतु उक्त घटना आरोपी की लापरवाही से कारित हुई थी इस संबंध में किसी भी साक्षी ने कथन नहीं किये हैं। घटना के आहत योगेशकुमार (अ.सा. 2) के अनुसार वे सभी साईड में खड़े थे। छत बैठ गयी जिससे उक्त क्षति हुई थी। आरोपी की लापरवाही से दुर्घटना नहीं हुई थी। छत अपने आप गिर गयी थी। घटना किसकी गलती से हुई थी उसे जानकारी नहीं है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी देवीलाल (अ.सा.1), किशोर (अ.सा.3), श्रीलाल (अ.सा.4) ने भी घटना में आरोपी की गलती से इंकार किया है। मात्र ऊषाबाई (अ.सा.7) आरोपी की गलती होने के कथन किये हैं। जिसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं थी। यदि उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाता है तब भी अभियुक्त की उपेक्षा के संबंध में किसी प्रकार के तथ्य उपलब्ध नहीं है। जिनमें छत की कालम काटने के पूर्व चेतावनी तथा अन्य सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। स्वयं आहत योगेश कुमार ने स्वीकार किया है कि वह लोग साईड में खड़े थे। संभव है कि काटने के दौरान छत अचानक गिर पड़ी हो। परिस्थितियां स्वयं प्रमाण हैं के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। दो व्यक्तियों की मृत्यु एवं अन्य के घायल होने से अभियुक्त की लापरवाही की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

15. परिणाम स्वरूप अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने का लोप कर इमारत की छत के कालम में लगे लोहे की सलाक को लापरवाहीपूर्वक गैस कटर से कटवाया जिससे इमारत की

छत गिर कर अंदर कार्य कर रहे मजदूर रतनलाल, तेजराम को ऐसी मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है तथा योगेश कुमार को साधारण उपहति कारित हुई।

17. अतः अभियुक्त हरिदास को भा.दं०सं० की धारा 288, 337, 304ए के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति सिलेण्डर सुपुर्दनामा पर है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

20. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)